REVIEW AND ANNUAL REPORT AND STATEMENT OF ACCOUNTS WITH C AND AG COMMENTS THEREON OF ORISSA ROAD TRANSPORT CO. LTD., BERHAMPUR (GUNJAM) FOR 1971-72

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : I beg to lay on the Table :—

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :—

(i) Review by the Government on the working of the Orissa Road Transport Company Limited, Berhampur (Ganjam) for the year 1971-72.

(ii) Annual Report of the Orissa Road Transport Company Limited, Berhampur (Ganjam), for the year 1971-72.

(iii) Directors' Report and statement of accounts for the year 1971-72 of the Orissa Road Transport Company Limited, Behrampur (Ganjam) and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above papers. [*Placed in Library See No.* LT-6462/74]

13.27 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

REPORTED SALE OF LAND UNDERLYING TERRITORIAL WATERS BY MAHARASHTRA GOVERNMENT

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष जी, आप ने मुझे समुद्र के नीचे जो जमीन है उस की मिल्कियत का सवाल उठाने की अनुमति दी है । हमारे संविधान में अनुच्छेद 297 इस प्रकार है :

"All lands, minerals and other things of value underlying the oceans within the territorial waters of the Continental Shelf of India shall vest in the Union and be held for the purposes of the Union."

अध्यक्ष महोदय, इस का मतलब है कि टैरीटोरियल वाटर्स के नीचे, समुद्र के नीचे जो जमीन है उस के ऊपर मिल्कियत केन्द्र की है। लेकिन इस प्राविधान के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने जो रेवेन्यू कोड पास किया है उस के सेक्शन 20 के तहत समुद्र के नीचे जो जमीन है उस की मिल्कियत अपने हाथ में लेती है । और बम्बई में एक अर्से से बैंक बे रिक्लेमेशन स्कीम चल रही है जिस के तहत 161 एकड़ जमीन विभिन्न लोगों के बीच में बेची गई है ।

एक एकड़ बेचने पर सरकार को कम से कम 1 करोड़ 70 लाख मिलता है । कई जमीनें इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, ओबराय आदि बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेची गई है । एक जमीन तो पांच हजार रुपये फी स्क्वेयर यार्ड के हिसाब से बेची गई है ।

मैं दो तीन सवाल उठाना चाहता हूं जिन की सफाई कानून मंत्री दें । पहला यह है कि क्या महाराष्ट्र सरकार के रेवेन्यू कोड के सेक्शन 20 के तहत समुद्र के नीचे की जमीन मिल्कियत राज्य सरकार की और राज्य की होती है या संविधान की जो धारा मैंने बताई है उसके अनुसार केन्द्र की होती है ? दूसरा यह है कि क्या राज्य सरकार को यह जमीन भर कर बेचने की छूट किसी कानून के तहत केन्द्र सरकार ने दी है ? अगर कोई कानून नहीं है तो इनको यह अधिकार कैसे प्राप्त हुआ ? क्या सरकार को यह भी समाचार मिला है कि कुछ बैंक बे की ऐसी जमीन है जिस को बिना भरे ही बेच दिया गया है और कहा गया कि भर कर जो आपको बनाना है बनाने का काम आप करें ? 166 एकड़ जो जमीन बेची गई है जानकार सूत्रों के अनुसार, मुझे पता चला है कि उसको बेचते समय बड़े बड़े पूंजीपतियों से बहुत सारा पैसा अंडर दी टेबल लिया गया है और यह रकम करोड़ों की है । हो सकता है कि इस में से कुछ को कांग्रेस के लिए भी कुछ चन्दा मिला हो, मुझे पता नहीं है । लेकिन यह जो गैर

[श्री मधु लिमये]

कानूनी काम हो रहा है इसकी ओर से सरकार अपनी आखें क्यों मूंदे हुई हैं ? क्या इनको पता नहीं है कि जो जमीन बेची गई है पूंजीपतियों को इसमें उन से अंडर दी टेबल भी पैसा लिया गया है।

एक आवश्यक सवाल लीज पर दी गई है।

श्री मधु लिमये . ठीक है 99 साल की लीज है । छः परसेंट या किसी और हिसाब से अनुमल लीज तैयार करते हैं। लीज कहिये, कुछ भी कहिये लेकिन केन्द्र की जो मिलकियत है उस पर राज्य आक्रमण कर रहा है, पूंजीपतियों को जमीन दे रहा है और इतना ही नहीं उस में पैसा बनाने की कोशिश भी कर रहा है। सको संसद कभी बरदाश्त नहीं कर सकती है । मन्त्री महोदय इसका खुलासा करें ।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर को इसको भेज दिया जाएगा।

श्री मधु लिमये : अब कुछ नहीं कहेंगे । कई दिन हो गये मैंने नोटिस भेजा था ।अपने दफ्तर से पूछे कल मैंने इसकी कापी दी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी तरफ से तो आज ही हुआ है । इसको भी आपने ऐसा बना लिया है जैसे कालिंग अटेंशन हो । इसको मिनिस्टर के पास भेज दिया जाएगा ।

श्री मधु लिमये . चोरी हो रही है और ये चुप बैठे हैं ।

13.32 hrs

GENERAL BUDGET, 1974-75—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

MR. SPEAKER : The time left is just enough for the Finance Minister to reply. But, one or two Members from both sides of the House can be accommodated. The Finance Minister will reply at 3 P.M.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH) : The Finance Minister may be called at 3.30.

MR. SPEAKER : The members will welcome it because they want more time to speak. The Finance Minister will be called at 3.30.

Shri Vidyalankar, who was on his legs, may continue.

श्री अवतार सिंह विद्यालंकार (चंडीगढ़) : कल मैं कह रहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में जब तक मौलिक परिवर्तन नहीं होता तब तक हम बहुत सी समस्याओं को हल नहीं कर पायेंगे । मैं यह भी कह रहा था कि हमारे यहां एक समानान्तर ब्लैकमार्किट का रुपया चल रहा है । इसके संबंध में इस बजट में कोई चर्चा नहीं है । मुझे खुशी है कि कल राज्य सभा में उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने इसकी तरफ इशारा किया और विश्वास दिलाया कि इस ब्लेकमनी की रोकथाम करने के लिए वह प्रयत्न करेंगे ।

13.34 hrs.

[MR DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

ये प्रयत्न क्या होंगे यह हम को पता लगना चाहिये । ये बजट में जो संकेत इसका है उसके सम्बन्ध में क्या प्रयत्न होंगे कुछ नहीं कहा गया है । बिना प्रयत्नों को जाने हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि कारगर ढंग से आप इस समस्या का समाधान कर लेंगे। अगर आप यह समझते हैं कि 97 ½ परसेंट से घटा कर 77 परसेंट कर को कर देंगे तो ब्लैकमनी की समस्या हल हो जायेगी तो मेरा विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा और इस में आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकेगी । जो लोग ब्लैकमनी में डील करते हैं उनको इसकी आदत पड़ गई है और वे आसानी से हथियार डालने वाले नहीं हैं । हमें कुछ कारगर प्रयत्न इस दिशा में करने पड़ेंगे।

समाजवादी नियंत्रण जहां पर असफल हो वहां पर उसका इलाज यह नहीं है कि हम कदम पीछे हटा लें और समाजवादी जो हमारे मेजर्स हैं उनको ढीला करदें । उसका उपाय यह है कि हम और भी ज्यादा समाजवादी मेजर्स लें और इन उपायों का आश्रय लें। मैं मिसाल देता हूं । कल वित्त मंत्री के भाषण से इस बात का इशारा मिला है कि गेंहूं के व्यापार के बारे में जो नीति है उस में ढील देना चाहते हैं और उसको तबदील करके शायद वह सरकारी